

अनुदान संख्या 83 – भू-संसाधन विभाग
GRANT No. 83 - DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-	2310,36,00	1810,95,63	-499,40,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			499,39,10

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआः—

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष “2501”	Major Head “2501”			
ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	Special Programmes for Rural Development			
मू.	O.	3825.00	785.30	784.05
पु.	R.	-3039.70		
मुख्य शीर्ष “2506”	Major Head “2506”			
भूमि सुधार	Land Reforms			
मू.	O.	13500.00	9774.85	9774.84
पु.	R.	-3725.15		

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	22000.00			
		
पु.	R.	-22000.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	190722.00			
			169581.00	169581.00	..
पु.	R.	-21141.00			

(I) मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत ₹22000.00 लाख का प्रावधान तीन मामलों के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(का) "बंजर भूमि विकास - राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - वाटरशेड विकास घटक" - ₹6860.00 लाख;

(खा) "भूमि सुधार - अन्य व्यय - डिजिटल भारत भू - अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम" - ₹1500.00 लाख; और

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप-योजना - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - वाटरशेड घटक" - ₹13640.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित/परियोजनाओं स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक

(I) Provision of ₹22000.00 lakhs remained wholly unutilised in three cases under Major Head "2552" - under the following heads:-

(A) "Waste Land Development - National Waste Land Development Programme-Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Watershed Development Component" - ₹6860.00 lakhs;

(B) "Land Reforms - Other Expenditure - Digital India Land Records Modernisation Programme" - ₹1500.00 lakhs; and

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Watershed Development Component - ₹13640.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on

शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “2501” – “बंजर भूमि विकास – राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “विश्व बैंक सहायता प्राप्त वाटरशेड प्रबंधन परियोजना “नीरांचल” – ₹1474.87 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – वाटरशेड विकास घटक” – ₹283.95 लाख की बचत (₹325.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कम कार्याशालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन किए जाने कम दौरे किए जाने एवं किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(गा) “पेशेवर समर्थन और अन्य गतिविधियाँ” – ₹1282.13 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2506” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं।

(का) “निर्देशन और प्रशासन” – डिजिटल भारत भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम” ₹756.93 लाख की बचत (₹1740.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – भूमि सुधार – अन्य अनुदान” – ₹810.00 लाख की बचत (₹2430.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head “2501” - “Waste Land Development - National Waste Land Development Programme” - savings occurred under the following heads:-

(A) “World Bank Assisted Watershed Management Project “Neeranchal” - saving of ₹1474.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs); and

(B) “Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Watershed Development Component” - saving of ₹283.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹325.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to conduction of less workshops/seminars, less tours undertaken and economy measures.

(C) “Professional Support and Other Activities” - saving of ₹1282.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the State Governments.

(III) Under Major Head “2506” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Direction and Administration - Digital India Land Records Modernisation Programme” - saving of ₹756.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1740.00 lakhs);

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Land Reforms - Other Grants” - saving of ₹810.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2430.00 lakhs);

(गा) “अन्य व्यय – डिजिटल भारत भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम” – ₹3110.00 लाख की बचत (₹8730.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(IV) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों” के अंतर्गत– बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – वाटरशेड विकास घटक” – ₹17367.00 लाख की बचत (₹141771.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(खा) “बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाएं – केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान – वाटरशेड प्रबंधन परियोजना – नीरांचल” – ₹8600.00 लाख की बचत (₹9000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – वाटरशेड विकास घटक” – ₹5461.00 लाख की बचत (₹33136.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत आंशिक रूप से अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई:-

(I) मुख्य शीर्ष “2506” – “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – डिजिटल भारत भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम” – ₹1000.00 लाख का अधिक व्यय (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(II) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों – जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – वाटरशेड विकास घटक” के अंतर्गत

(C) “Other Expenditure - Digital India Land Records Modernisation Programme” - saving of ₹3110.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8730.00 lakhs);

(IV) Under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes”- savings occurred under the following heads:-

(A) “Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Watershed Development Component” - saving of ₹17367.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹141771.00 lakhs);

(B) “Externally Aided Projects - Grants for Centrally Sponsored Schemes - Watershed Management Project - Neeranchal” - saving of ₹8600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9000.00 lakhs); and

(C) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Watershed Development Component” - saving of ₹5461.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹33136.00 lakhs).

Savings under the above six heads were due to receipt of less proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head “2506”- “Tribal Area Sub-Plan - Digital India Land Records Modernisation Programme” - excess of ₹1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs); and

(II) Major Head “3601”- “Centrally Sponsored Schemes - Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Watershed Development

660

₹10287.00 लाख का अधिक व्यय (₹6815.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Component" - excess of ₹10287.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6815.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.
